सरकार द्वारा

न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0पी0 नं0–01/2008

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़
बनाम
साहेब मोमीन

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
13.08.2012	**आदेश** विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के द्वारा उनके न्यायालय के रेभ0मिस0 वाद सं0–15/2008–09 में अंचल–पाकुड़ के मौजा सोलागड़िया थाना नं0–24 के दाग नं0–1078 के रकवा 5–10–0 धूर जमीन जो साहेब मोमीन, पिता–रसुल मोमीन के नाम से बन्दोवस्त हुआ है, बन्दोवस्त की तिथि से उक्त भूमि के अधिकांश भू–भाग (2–10–0) पर कृषि कार्य नहीं किये जाने कारण उक्त दाग के आंशिक भू–भाग (2–10–0) धूर जमीन की बन्दोवस्ती को रद्द करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त है। विपक्षी को अपना पक्ष रखने के संबंध में सूचित किया गया था। उनके प्राधिकृत अधिवक्ता के द्वारा लगातार दो तिथियों को समय के लिए आवेदन दिया गया था। बाद में लगातार नौ तिथियों से न्यायालय में उनके द्वारा सुनवाई हेतु कोई पैरवी नहीं की गई, जिसके कारण अभिलेख को अभिलेख में उपलब्ध कागजात के आधार पर आदेश हेतु रखा गया। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के बन्दोवस्ती रद्द हेतु रेभ0मिस0 वाद सं0–15/2008–09 तथा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के प्रस्ताव तथा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के प्रतिवेदन में विपक्षी को बन्दोवस्ती कब मिली थी तथा उसका वाद संख्या उल्लेख नहीं रहने के कारण अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के प्रतिवेदनानुसार विपक्षी को बन्दोवस्ती वाद संख्या–15/1960–61 के द्वारा दिनांक 03.12.1963 को अंचल–पाकुड़ के मौजा–सोलागड़िया के दाग नं0–1078 के रकवा 5–10–00 धूर जमीन बन्दोवस्त दिया गया था। लेकिन विपक्षी के द्वारा वर्णित बन्दोवस्ती जमीन के वर्णित आंशिक भू–भाग	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

पर खेती नहीं किया जा रहा है। संथाल परगना काश्तकारी पुनरीक्षण अधिनियम–1949 की धारा–33 के तहत स्पष्ट किया गया है कि यदि बन्दोवस्ती की तिथि से 5 वर्ष के अन्दर कृषि कार्य के लिए बन्दोवस्ती भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है तो उस बन्दोवस्ती आदेश को निरस्त किया जा सकता है।

अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ से प्राप्त प्रस्ताव एवं अंचल अधिकारी, पाकुड़ के प्रतिवेदन में विपक्षी (बन्दोवस्तधारी) के द्वारा वर्षो से वर्णित आंशिक भू–भाग को कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं किया गया है और न प्रयास किया गया है। अतः प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विपक्षी को बन्दोवस्ती वाद सं0–15/1960–61 के द्वारा दी गई बन्दोवस्ती जमीन 5–10–0 धूर में से आंशिक भू–भाग 2–10–0 धूर जमीन की बन्दोवस्ती को संथाल परगना काश्तकारी पुनरीक्षण अधिनियम की धारा–33 के तहत निरस्त किया जाता है, यदि विपक्षी (बन्दोवस्तीधारी) के नाम से जमाबन्दी कायम है तो आंशिक भू–भाग 2–10–0 धूर जमीन की कायम जमाबन्दी को रद्द किया जाता है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ को आदेश दिया जाता है कि वर्णित जमीन सरकार के पक्ष में लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के माध्यम से अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर न्यायालय को भेजना सुनिश्चित करें।

आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ एवं अंचल अधिकारी, पाकुड़ को अनुपालन हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त,
पाकुड़।

उपायुक्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.10 15:20:38 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with CamScanner